संख्या-6/2022/782/96-आयुष-1-2022-227/2020

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 08 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर को आवंटित धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आयुर्वेद सेवायें के पत्र संख्या-1524/6060/2021-22/लेखा, दिनांक 08.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुरोध किया गया है कि शासनादेश संख्या-4/2022/619/96-आयुष-1-2022-227/2020, दिनांक 04.03.2022, जो कि कुलपति महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर को संबोधित है, को निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी संबोधित करते हुए आवंटित धनराशि कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर/निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए शासनादेश दिनांक 04.03.2022 को यथासंशोधित किया जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर को धनराशि आवंटित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-4/2022/619/96-आयुष-1-2022-227/2020, दिनांक 04.03.2022 के संबोधन में उल्लिखित "कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर" के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

"1- कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।"

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2022 के प्रस्तर-1 की पंक्ति संख्या-11 में उल्लिखित "कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं" के स्थान पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

"कुलपति, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर/निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं" पढा जाय।

संदर्भित शासनादेश संख्या-4/2022/619/96-आयुष-1-2022-227/2020, दिनांक 04.03.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2022/782(1)/96-आयुष-1-22, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा वित्त नियंत्रक महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।